न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—60 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. कामड़ पुत्र हीरा जी, जाति मेघवाल, आयु 64 वर्ष, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. किशनलाल पुत्र हीरा जी, जाति मेघवाल, आयु 45 वर्ष, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गोपाललाल पुत्र हीरा जी, जाति मेघवाल, आयु 58 वर्ष, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीगण

विरूद्व

1. कंकू बाई पत्नी श्री सीताराम, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कमली बाई पत्नी रोशन, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. नन्दा पुत्र कालु, जाति चमार , आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पत्नी विनोद, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. विनोसी पत्नी सुरेश, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. कैलाश चन्द्र पुत्र लालचन्द, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. मुरली पुत्र लालचन्द, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. शान्तीलाल पुत्र लालचन्द, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. संतोष बाई पुत्री लालचन्द, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. सुन्दरी बाई पत्नी स्व. लालचन्द, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
11. मनीराम पुत्र भावलिया, जाति कंजर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
12. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, रावतभाटा।

...........विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :— **श्री पराग त्रिपाठी**

अप्रार्थीगण की ओर से :— **अप्रार्थी सं. 1,3,11,12 स्वयं**

अप्रार्थी सं. 2, 4 से 10 एकतरफा

दिनांकः— 15.10.2025

—ःआदेशः—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 25 खसरा संख्या 726 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर, लगानी 1.60 रूपये भूमि प्रार्थीगण के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया [illegible] संख्या 726 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई [illegible] कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व[illegible] को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर [illegible]ाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थीगण पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम मौजा रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 25 खसरा संख्या 726 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर, लगानी 1.60 रूपये भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested